न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—311/2025

प्रार्थीः—

प्रतापाराम पुत्र प्रहलादराम जाति चौधरी निवासी रमणीया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री गणपतसिंह व ललित जांगिड अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 30.01.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2145, 2146, 609, 1606, 1792, 1795, 1649, 253, 254, 255, 258, 1629, 177, 1777, 1778, 178, 1781, 2089, 31, 32, 79 व 80 रकबा क्रमशः 2.4174, 0.0903, 2.1992, 2.2527, 0.8593, 6.3866, 6.3604, 0.0732, 0.0164, 0.4129, 6.8402, 1.1609, 0.7586,2.9431,0.1304,1.4875,2.6826,2.5911,0.1514,2.0006,2.7256 व 1.4055 हैक्टेयर भूमि ग्राम रमणिया तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम ''पताराम पुत्र प्रहलाद'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''प्रतापाराम पुत्र प्रहलादराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''प्रतापाराम पुत्र प्रहलादराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 2145, 2146, 609, 1606, 1792, 1795, 1649, 253, 254, 255, 258, 1629, 177, 1777, 1778, 178, 1781, 2089, 31, 32, 79 व 80 रकबा क्रमशः 2.4174, 0.0903, 2.1992, 2.2527, 0.8593, 6.3866, 6.3604, 0.0732, 0.0164, 0.4129, 6.8402, 1.1609, 0.7586, 2.9431, 0.1304, 1.4875, 2.6826, 2.5911, 0.1514, 2.0006, 2.7256 व 1.4055 हैक्टेयर भूमि ग्राम रमणिया तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''पताराम पुत्र प्रहलाद'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''प्रतापाराम पुत्र प्रहलादराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''पताराम पुत्र प्रहलाद'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''प्रतापाराम पुत्र प्रहलादराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:27 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 2145, 2146, 609, 1606, 1792, 1795, 1649, 253, 254, 255, 258, 1629, 177, 1777, 1778, 178, 1781, 2089, 31, 32, 79 व 80 रकबा क्रमशः 2.4174, 0.0903, 2.1992,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

2.2527, 0.8593, 6.3866, 6.3604, 0.0732, 0.0164, 0.4129, 6.8402, 1.1609, 0.7586, 2.9431, 0.1304, 1.4875, 2.6826, 2.5911, 0.1514, 2.0006, 2.7256 व 1.4055 हैक्टेयर भूमि ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''पताराम पुत्र प्रहलाद'' के स्थान पर ''प्रतापाराम उर्फ पताराम पुत्र प्रहलादाराम उर्फ प्रहलाद'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:27 IST
Reason: SelfAttested